

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-289) अलेसे-1/419-425

दिनांक:- 16/06/25

आदेश

श्री गणपत लाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिनक नं0- 2506) कार्यालय राजकीय, कन्या महाविद्यालय, गोविन्दगढ़, जयपुर के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन है।

अतः राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री मीणा को विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन रखते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। श्री मीणा का निलम्बन काल में मुख्यालय कोषाधिकारी, बूंदी रहेगा।

श्री मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 को निलम्बन काल में राजस्थान सेवा नियमों के नियम 53 के अन्तर्गत नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)

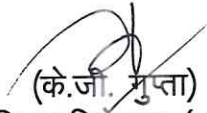
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ.2 (क) (जी-289) अलेसे-1/419-425

दिनांक:- 16/06/25

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव-1। (जांच), ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कार्मिक के विरुद्ध सीसीए नियम-16 में अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 23.05.2002 के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव इस निदेशालय को भिजवाये जाने का श्रम करावें।
3. प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।
4. कोषाधिकारी, बूंदी।
5. श्री गणपत लाल मीणा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय प्राचार्य, राजकीय कन्या महाविद्यालय, गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।
6. उप निदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. वरिष्ठ निजी सचिव निदेशक महोदय।
8. जांच शाखा/एपीएआर शाखा/डीपीसी शाखा/ पदस्थापन सीट।


(के.जी. गुप्ता)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)